

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0अ0सं0-7/अ0प्र0-01-02/2025 16)

पटना, दिनांक 28-3-25

राज्य मुकदमा नीति, 2011 (Bihar State Litigation Policy, 2011) के संचालनार्थ श्री अशोक कुमार दूबे, तकनीकी परामर्शी (विधि), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। इनका Mobile No-8986915322 और E-MailID-akdubey2660@gmail.com है।

नोडल पदाधिकारी विभाग के अंतर्गत प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र तथा शिकायत निवारण पोर्टल द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में विभागीय शिकायत निवारण समिति के स्तर पर ही निष्पादित करने का प्रयास करेंगे ताकि कम से कम मामला न्यायालय में जा सके, साथ ही माननीय न्यायालय में दायर वादों का समय-समय पर अनुश्रवण करेंगे, ताकि माननीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों को प्रभावी समय में कार्यान्वयन किया जा सके।

प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-

(कुमार अनिल सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना/दिनांक

ज्ञापांक:-7/अ0प्र0-1-02/2025

प्रतिलिपि:-सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना/दिनांक 28-3-25

ज्ञापांक:-7/अ0प्र0-1-02/2025 3548

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/विशेष सचिव/सभी संयुक्त सचिव/लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/तकनीकी परामर्शी (विधि)/सभी उप सचिव/सचिव (ब्राड)/सभी अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर ग्रामीण कार्य विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव